

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि०न० - 507 / 2025

अनवान : -

1. पूर्णराम पुत्र किसनाराम जाति नायक निवासी मिर्जावालीमेर त० टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
 2. मानाराम पुत्र किसनाराम जाति नायक निवासी मिर्जावालीमेर त० टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
- वादीगण

बनाम्

1 तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

प्रतिवादी



आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी टिब्बी के समक्ष अधिवक्ता वादी कुन्दमलाल व की उपस्थिति में प्रस्तुत होने पर वाद वादी डिक्री किया जाकर खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है -

वादी सं० 1 को प्राप्त आराजी :- चक 13 एजी ए के प०न० 202/378 के मु०न० 5 के किला न० 18 ता 19/0.506है०, 20/2/0.228है. 21/2/0.177है०, 22/2/0.203है० 23/2/0.203है० कुल 1.317है० अनकमाण्ड भूमि व चक 13 एजी के प०न० 204/379 के मु०न० 40 के किला न० 1/2/0.114है० पूर्व दिशा, 2/0.088है० पूर्व दिशा कुल 0.202है० इस प्रकार कुल रकबा 1.519है०।

वादी सं० 2 मानाराम को प्राप्त आराजी :- चक 13 एजी के प०न० 204/379 के मु०न० 40 के किला न० 1/2/0.114 पश्चिमी दिशा, 2/0.165है० पश्चिमी दिशा, प०न० 205/377 के मु०न० 29 के किला न० 22 ता 24/0.759है० 25/1/0.228है० 25/2/0.025है० प०न० 206/377 के मु०न० 30 के किला न० 21/2/0.228है० कुल 1.519है० भूमि। इसी अनुसार वादी व प्रतिवादी सं० 2 व 3 के नाम भूमि राजस्व रिकोर्ड में दर्ज किया जावे व इसी अनुसार चक 13 एजीए के खाता सं० 45/10 से वादी सं० 2 मानाराम व चक 13 एजी के खाता सं० 74/20 से वादी सं० 1 पूर्णराम का नाम कलमजन किया जाकर उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए बैंक रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर यथावत् रखा जाकर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो राजस्व रिकोर्ड में अंकन कर रिकोर्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्ष अपना-अपना वहन करें।

आज यह डिक्री दिनांक 25/01/26... मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी जिला हनुमानगढ़
R.A.S